

न्यायालय-ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक०क्र० 328 / 13

संस्थित दिनांक-14.06.13

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-मौ

जिला-भिण्ड (म०प्र०)

.....अभियोगी

विरुद्ध

1. नरेन्द्रसिंह पुत्र नाथूसिंह गुर्जर उम्र 31 साल

निवासी ग्राम जमदारा थाना मौ जिला भिण्ड म०प्र०अभियुक्त

—:: निर्णय ::—

{आज दिनांक 21.03.18 को घोषित}

अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 294, 323 एवं 506 भाग 2 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 03.06.13 को 10:30 बजे या उसके लगभग ग्राम जमदारा स्थित शासकीय हैण्डपंप अंगर्गत थाना मौ क्षेत्र में अश्लील शब्द उच्चारित कर फरियादी कु० मनीषा एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभकारित किया, फरियादी कु० मनीषा को डण्डों से मारपीट कर स्वेच्छा उपहति कारित की तथा संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 03.06.13 को सुबह करीब 10 बजे फरियादी मनीषा अपने घर के पास ग्राम जमदारा में माता मंदिर के पास स्थित हैण्डपंप से पानी भरने गयी इतने में अभियुक्त आया और पहले पानी भरने के लिए कहने लगा। फरियादी के मना करने पर माँ बहन की गालियां देने लगा और गाली देने से मना करने पर डण्डे से मारपीट की जिससे फरियादी को चोटें आईं। जाते समय अभियुक्त जान से मारने की धमकी देकर चला गया। उक्त आशय की लिखित रिपोर्ट से अप०क्र० 80/13 पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया। साक्षियों के कथन लेख किये गये। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। बाद अनुसंधान अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अभियुक्त को पद क्र० 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। अभियुक्त के द्वारा दफ्तर की धारा 313 के अधीन परीक्षण में उनके निर्दोष होने तथा झूठा फंसाया जाने का कथन किया गया।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं –

1. क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक 03.06.13 को 10:30 बजे या उसके लगभग ग्राम जमदारा स्थित शासकीय हैण्डपंप अंगरतत थाना मौ क्षेत्र में अश्लील शब्द उच्चारित कर फरियादी कु० मनीषा एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभकारित किया ?
2. क्या उक्त दिनांक व समय पर फरियादी मनीषा को शरीर पर कोई चोट मौजूद थी, यदि हाँ तो उसकी प्रकृति क्या थी।
3. क्या उक्त दिनांक समय व स्थान पर अभियुक्त ने फरियादी कु० मनीषा को डण्डों से मारपीट कर स्वेच्छा उपहति कारित की ?
4. क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

5. अभियोजन की ओर से प्रकरण में अभियोजन की ओर से प्रकरण में कु० मनीषा अ०सा० 1, उदल अ०सा० 2, लज्जावती अ०सा० 3, डा० आर० विमलेश अ०सा० 4 को परीक्षित कराया गया। जबकि अभियुक्तगण की ओर से बचाव में कल्ली ब०सा० 1 को परीक्षित कराया गया है।

—:: विचारणीय प्रश्न कं० 1 का निष्कर्ष ::—

6. फरियादी मनीषा अ०सा० 1 यह कथन करती है कि घटना साक्ष्य दिनांक 05.10.06 से करीब 3 वर्ष पहले की है, वह पानी भरने माता के मंदिर के पास हैण्डपंप पर गयी तो अभियुक्त नरेन्द्र ने कहा कि उसका नंबर है। जब फरियादी ने कहा कि उसका नंबर है तो अभियुक्त ने उसके बर्तन फेंक दिए तथा डण्डों से मारपीट की, इसके बाद रिपोर्ट करने जाने का कथन करती है। रास्ते में अभियुक्त के मिल जाने पर उसके द्वारा धमकी दिए जाने कि रिपोर्ट करने गयी तो जान से मार देंगे, का कथन करती है। रिपोर्ट प्र०पी० 1 पर अपने ए से ए भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करती है, लिखित आवेदन प्र०पी० 3 पर भी अपने ए से ए भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करती है। इस प्रकार से साक्षी द्वारा रिपोर्ट करने जाते समय अभियुक्त द्वारा उसे गाली दिए जाने के संबंध में कथन किया है। उदल अ०सा० 2 द्वारा अभियोजन के मामले का कोई समर्थन नहीं किया गया। लज्जावती अ०सा० 3 अपने मुख्य परीक्षण में अभियुक्त द्वारा किसी प्रकार की गाली गलौंच करने का कोई कथन नहीं करती हैं। साक्षी लज्जावती अ०सा० 3 अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में स्वीकार करती है कि वे लडाई के समय घर पर थी और उनकी लडकी अकेले पानी भरने हैण्डपंप पर गयी थी। यह भी स्वीकार करती हैं कि उसी (लडकी) ने उसे झगड़े के बारे में बताया था। इस प्रकार से साक्षी घटना की चक्षुदर्शी साक्षी नहीं हैं।

7. फरियादी मनीषा अ०सा० 1 घटना के समय अभियुक्त द्वारा किसी प्रकार के अश्लील शब्द या गालियों के उच्चारण किए जाने का कथन नहीं करती, बल्कि रास्ते में कथित रूप से धमकी दिए

जाने का कथन करती है। अपने संपूर्ण अभिसाक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध ऐसा कोई कथन नहीं किया गया है कि उसने किसी अश्लील शब्द या गाली का उच्चारण सार्वजनिक स्थान पर किया हो तथा अभिकथित अश्लील शब्द या गाली से उसे कोई क्षोभकारित हुआ हो। इस प्रकार से प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध संहिता की धारा 294 के अपराध को प्रमाणित किए जाने के संबंध में सारवान साक्ष्य नहीं पाई जाती है।

--: विचारणीय प्रश्न कं० 4 का निष्कर्ष :-

8. मनीषा अ०सा० 1 अपने अभिसाक्ष्य में कथन करती है कि जब वह रिपोर्ट करने गयी तो रास्ते में नरेन्द्र मिल गया और उसने कहा कि रिपोर्ट करने गयी तो जान से मार देंगे। साक्षी के अतिरिक्त अन्य किसी अभियोजन साक्षी ने अभिकथित रास्ते में अभियुक्त के मिलने का समर्थन नहीं किया है। स्वयं मनीषा अ०सा० 1 प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 4 में बताती है कि उन्होंने रिपोर्ट लिखाते समय अभियुक्त द्वारा रास्ते में मिलने और जान से मारने की धमकी दिए जाने की बात बता दी थी, किन्तु प्र०पी० 1 व 3 में की रिपोर्ट व पुलिस कथन प्र०डी० 1 में उसका अभाव है, ऐसी दशा में अभियुक्त के विरुद्ध संहिता की धारा 506 बी के आरोप के संबंध में फरियादी का कथन साक्ष्य से प्रमाणित नहीं हैं। साथ ही अभिकथित धमकी से कोई भय अथवा संत्रास कारित हुआ हो, इस संबंध में भी कोई भी तथ्य अभिलेख पर नहीं हैं। अतः संहिता की धारा 506 भाग दो का आरोप प्रमाणित नहीं होता है।

--: विचारणीय प्रश्न कं० 2 का निष्कर्ष :-

9. मनीषा अ०सा० 1 अपने मुख्य परीक्षण में कथन करती है कि जब वह मंदिर के सामने हैण्डपंप पर पानी भर रही थी तो अभियुक्त नरेन्द्र आया और कहा कि मेरा नंबर है। जब फरियादी ने कहा कि उसका नंबर है तो अभियुक्त ने बर्तन फेंक दिए और डण्डे से हाथ व पीठ में मारा व एक लाठी पैर में मारी, जिसके संबंध में उसने रिपोर्ट की थी। कण्डिका 3 में कथन करती है कि उसे तीन चोट आई थी एक चोट दाहिने हाथ, एक बाएं पैर तथा एक चोट पीठ में आई थी। लज्जावती अ०सा० 3 यद्यपि चक्षुदर्शी साक्षी नहीं हैं किन्तु आहत मनीषा की चोटों के संबंध में कथन सुसंगत है, जो मनीषा को एक चोट पीठ में तथा एक चोट दाहिनी बांह में होना बताती है। डा० आर० विमलेश अ०सा० 4 यह कथन करते हैं कि दिनांक 03.06.13 को डा० हरीश हाशवानी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मौ में उनके साथ पदस्थ थे। उनके द्वारा आहत मनीषा को चिकित्सीय परीक्षण करने पर एक नीलगू निशान ढाई गुणा 1/4 सेमी० बांयी भुजा पर तथा एक नीलगू निशान 2 गुणा 1/4 सेमी० दाहिनी बाजू पर कडेपन सहित था। आहत को पाई चोटें परीक्षण से 24 घण्टे के अंदर की थी। डा० हरीश हाशवानी द्वारा तैयार रिपोर्ट प्र०पी० 5 बताकर उस पर ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं।

10. डा० हरीश हाशवानी द्वारा आहत मनीषा को दिनांक 03.06.2013 को परीक्षित कराए जाने के संबंध में डा० आर० विमलेश अ०सा० 4 का कथन भारतीय साक्ष्य अधि० 1872 की धारा 47 के अधीन कारबार के सामान्य अनुक्रम में हस्ताक्षर व हस्तलिपि से परिचित साक्षी के रूप में उनकी साक्ष्य संपुष्टकारी है। प्र०पी० 5 की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के अधीन सुसंगत होकर अधिनियम की धारा 114 ड के अधीन कारबार के सामान्य अनुक्रम में निष्पादित किए जाने एवं अविश्वास का कोई युक्तियुक्त आधार न होने से उपधारणा करने का आधार दर्शित करती है। प्रकरण में अभियुक्त की ओर से फरियादी को दिनांक 03.06.13 को उपहति कारित होने के तथ्य को कोई चुनौती नहीं दी गयी है। चिकित्सक को उक्त चोटें स्वकारित होने का सुझाव दिया गया, किन्तु स्वयं फरियादी को ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया है, ऐसी दशा में फरियादी मनीषा को दिनांक 03.06.13 को सुसंगत समय पर शरीर पर साधारण चोटें मौजूद होने का तथ्य प्रमाणित होता है।

—:: विचारणीय प्रश्न कं० 3 का निष्कर्ष ::—

11. फरियादी मनीषा अ०सा० 1 अपने अभिसाक्ष्य में पानी भरने को लेकर अभियुक्त से विवाद होने और मारपीट करने का कथन किया है। घटनास्थल के संबंध में पुष्टि करते हुए घर के पास मंदिर के सामने हैण्डपंप होने के संबंध में कथन किया है जो कि घटनास्थल है। प्र०पी० 2 के नक्शा मौका को भी फरियादी ने प्रमाणित किया है। अभियुक्त की ओर से उसे झूठा फंसाए जाने का बचाव लिया है, किन्तु फरियादी के प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई तथ्य नहीं दर्शाया गया कि किस आधार पर उसे असत्य रूप से लिप्त किया गया है। बचाव साक्षी कल्ली ब०सा० 1 ने गांव में अभियुक्त नरेन्द्र के पूर्वजों के समय से ही गौडा (पशु बांधने का स्थान) पर कब्जा होने के आधार पर विवाद होने का आधार बताया है और उक्त गौडा की जगह के लिए फरियादी मनीषा के पिता मुन्नालाल द्वारा पंचायत में रंजिशन झूठे मामले में फंसा देने की बात बताई है। किन्तु प्रतिपरीक्षण में साक्षी जहां एक ओर घटना की तिथि याद होना बताता है, जबकि अपनी बहनों की जन्मतिथि, त्यौहारों की तारीखें याद न होना बताते हैं। कथित पंचायत में दी गयी धमकी के खिलाफ किसी के द्वारा कोई शिकायत न किए जाने का तथ्य भी बताते हैं ऐसी दशा में अभियुक्त की ओर से लिया गया बचाव विश्वसनीय नहीं है।

12. फरियादी मनीषा अ०सा० 1 ने स्पष्ट रूप से अभियुक्त द्वारा पानी भरने के विवाद से उण्डे से मारपीट की जाकर उपहति कारित किए जाने के संबंध में कथन किया है। प्रतिपरीक्षण में कोई भी इस प्रकार का तथ्य प्रकट नहीं हुआ जो कि साक्षी के कथन को अविश्वसनीय बना देता हो। जो विरोधाभास प्रतिपरीक्षण में प्राथमिकी के संबंध में किए गए हैं वे सूक्ष्म प्रकृति के हैं। रास्ते में अभियुक्त के मिलने पर धमकी देने के तथ्य भी साक्षी द्वारा बड़ चढ़कर कथन किए जाने का प्रयास मात्र दर्शाते

हैं। फरियादी मनीषा स्वयं आहत है उसका कथन सूक्ष्म विरोधाभासों के आधार पर संदिग्ध नहीं हो जाता है। जहां कथित रंजिश का तथ्य प्रमाणित नहीं हैं ऐसे में फरियादी के कथन पर विश्वास किए जाने योग्य है। आहत साक्षी की अभिसाक्ष्य दण्डिक विधि में अधिक महत्व रखती है। न्यायालय का ध्यान न्यायदृष्टांत **Abdul Sayeed v. State of Madhya Pradesh, (2010) 10 SCC 259** की ओर आकर्षित होता है जिसमें मान० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आहत साक्षी की साक्ष्य के मूल्यांकन के संबंध में अभिनिर्धारित किया कि –

Injured witness - Testimony of - Reliability - Presence of injured witness on spot, not doubtful - Graphic description of entire incident given by him - Must be given due weightage - His deposition corroborated by evidence of other eye witnesses - Cannot be brushed aside merely because of some trivial contradictions and omission therein.

इसके अतिरिक्त मान० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आहत साक्षी की साक्ष्य के मूल्यांकन के संबंध में न्यायदृष्टांत **Bhajan Singh alias Harbhajan Singh and Ors v. State of Haryana AIR 2011 SC 2552 : (2011)7 SCC 421** भी उल्लेखनीय हैं जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पैरा 21 में आहत साक्षी के संबंध में महत्वपूर्ण संप्रेक्षण करते हुए उसके कथन को अधिक भार दिए जाने और अभियुक्त को फंसाकर सच्चे अपराध कर्ता को बचाने के संबंध में कोई आधार न होना अभिव्यक्त किया।

13. जहां तक फरियादी के कथन में विरोधाभास का तर्क प्रस्तुत किया है तो उसके कथन में कथित विरोधाभास सूक्ष्म प्रकृति के हैं। न्यायदृष्टांत योगेशसिंह विरुद्ध महावीरसिंह व अन्य एआईआर 2016 एस०सी०-5160 : जे०टी० 2016 (10) एस०सी० 332 : 2016 (4) सीसीएससी 1876 की कण्डिका 29 में मान० सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि “विधि में सुस्थापित है कि कुछ असंगतताओं को महत्व प्रदान नहीं किया जाना चाहिए और साक्ष्य पर विश्वसनीयता के दृष्टिकोण से विचार किया जाना चाहिए। परीक्षण यह है कि क्या वह न्यायालय के मस्तिष्क में विश्वास उत्पन्न करता है। यदि साक्ष्य असाधारण है और प्रज्ञा के परीक्षण के द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता है तो वह अभियोजन कथन में कमी सृजित कर सकता है। यदि कोई लोप या असंगतता मामले की तह तक जाती है और विषमताओं को प्रविष्ट करती है, तो प्रतिरक्षा ऐसी असंगतियों का लाभ ग्रहण कर सकता है। यह अभिकथित करने के लिए किसी विशेष प्रबलता की आवश्यकता नहीं है कि प्रत्येक लोप तात्त्विक लोप का स्थान नहीं ले सकता इसलिए कुछ असंगतियां, विषमताएं या महत्वहीन अलंकरण अभियोजन के मामले के मूल को प्रभावित नहीं करते और अभियोजन साक्ष्य को नामंजूर करने के लिए आधार रूप में ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। लोप को साक्षी की विश्वसनीयता या विश्वास योग्यता के बारे में गंभीर संदेह सृजित करना चाहिए। केवल गंभीर पारस्परिक विरोध और लोप ही, तात्त्विक रूप से अभियोजन के मामले को प्रभावित करते हैं

किन्तु प्रत्येक परस्पर विरोध या लोप नहीं।" इस मामले में फरियादी मनीषा अ०सा० 1 की साक्ष्य पर उसे कारित चोटों के संबंध में न्यायालय के समक्ष अविश्वास हेतु युक्तियुक्त कारण मौजूद नहीं हैं।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन यह तथ्य प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 03.06.13 को 10:30 बजे या उसके लगभग ग्राम जमदारा स्थित शासकीय हैण्डपंप अंगरतत थाना मौ क्षेत्र में फरियादी कु० मनीषा को डण्डो से मारपीट कर स्वेच्छा उपहति कारित की। अतः अभियुक्त को संहिता की धारा 323 के अधीन **दोषसिद्ध** किया जाता है। अभियुक्त को संहिता की धारा 294 एवं 506 भाग दो के आरोप प्रमाणित न पाए जाने से उक्त आरोप के अधीन दोषमुक्त किया जाता है।

15. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारहीन किए गए। उसे अभिरक्षा में लिया गया।

16. अभियुक्त के स्वेच्छिक अपराध को देखते हुए एवं उसकी परिपक्व आयु को देखते हुए उसे परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिये जाने का कोई आधार नहीं पाया जाता है। दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त व उनके विद्ववान अभिभाषक को सुने जाने हेतु निर्णय लेखन कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है।

(A.K.Gupta)

Judicial Magistrate First Class
Gohad distt.Bhind (M.P.)

पुनश्च:

17. अभियुक्त एवं उनके विद्ववान अभिभाषक को सुना गया। उन्होंने अभियुक्त की प्रथम दोषसिद्धि का कथन करते हुए अभियुक्त के ग्रामीण परिवेश के होकर नवयुवक हैं। अतः इस आधार पर कम से कम दण्ड से दण्डित किए जाने का निवेदन किया है। अभियोजन को भी सुना गया।

18. अभियुक्त की पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं हैं। अभियुक्त ग्रामीण परिवेश का अवश्य हैं। उभयपक्ष एक ही गांव के निवासी है। पानी भरने को लेकर विवाद होकर अत्यंत गंभीर प्रकृति का नहीं हैं, न ही सुनियोजित प्रकृति का है। अभियुक्त एक दिवस जेल में भी रहा है। ऐसे में कठोरतम दण्ड से दण्डित करने की दशा में उनके मध्य भविष्य में संबंधों की मधुरता की संभावना समाप्त हो जावेगी। अतः अभियुक्त को संहिता की धारा 323 के अधीन **अभिरक्षा में बिताई अवधि एवं 1000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।** अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को एक माह का कारावास भुगताया जावे।

19. अभियुक्त से अर्थदण्ड के रूप में बसूली गयी राशि में से फरियादी/आहत मनीषा पुत्री मुन्नालाल कुशवाह निवासी ग्राम जमदारा थाना मौ जिला भिण्ड को हुई क्षति या हानि के प्रतिकर

के रूप में दफ़्तर की धारा 357-1 ख के अधीन 500 रुपये (पांच सौ रुपये) आवेदन करने पर विधि अनुसार प्रदान किये जावें।

20. प्रकरण में कोई संपत्ति जब्त नहीं।
21. निर्णय की एक प्रति अविलंब अभियुक्तगण को प्रदान की जावे।
22. अभियुक्त की निरोधावधि एक दिवस है।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,
हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित
कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

ए०के० गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

ए०के० गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश